EAST CENTRAL RAILWAY

पूर्व मध्य रेल

EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.61/2017

CPO's SL. No. 88/2017

No. E/90/O/ECR/HJP

Dated:-07.07.2017

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपूर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.म.रे / हाजीपूर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपूर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपूर / हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपूर।

विषयः– Filling up 50% of DR Quota vacancies through General Departmental Competitive Examination (GDCE) – eligibility of staff in same Grade Pay/Pay Scale – regarding.

संदर्भः– Rly. Board's Lt. no.E(NG)I-2008/PM1/6 Part Dated.23.06.2017

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदशन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित की जा रही है ।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

7/7/17

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि / ई.एस.एम एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित :–

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपूर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपूर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे / हाजीपूर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपूर।

08/17
21/7/17

RBE NO. 61/2017

40588 29/06/17

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर 13
रेलवे बोर्ड का पत्र
दिनांक 29-6-17

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2008/PM1/6 Part **New Delhi, dated 23.06.2017**

The General Manager (P)
All Indian Railways & Pus
(As per Standard List)

Subject : Filling up 50% of DR Quota vacancies through General Departmental Competitive Examination (GDCE) – eligibility of staff in same Grade Pay/Pay Scale – regarding.

Reference : Railway Board's letter No.E(NG)I-2004/PM2/3 dated 20.10.2005

Zonal Railways may please refer to Board's letter quoted in the reference, in terms of which employees working in grades lower than the grades for which GDCE is held, are eligible to appear in the selection held for GDCE

2. Both the Federations, viz., AIRF and NFIR have raised the issue of eligibility of staff for appearing in GDCE and have requested Board to allow staff from same grade pay/pay scale also to avail the benefit of GDCE.

3. The matter has been examined and it has been decided that in partial modification of Board's letter quoted in the reference, staff from same grade pay/pay scale may be allowed to appear in selection for GDCE only in case the selection is from Non-Safety to Safety posts. Other conditions remain unchanged.

Please acknowledge receipt of this letter.

Hindi version shall follow.

Rulling.

(P. M. Meena)
Deputy Director-II/E(NG)I
Railway Board.

D:@ankaj:Pankaj's Office:PM1 Letters 396

Pl. comply as ordered above.

CP.O Sr No: 88/17 date: 07.07.17

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय 03
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र प्रा.
दिनांक 7-7-17

आरबीई सं. 61/2017

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

41013
07/07/17

ECR

सं. ई(एनजी)I-2008/पीएम1/6 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2017

महाप्रबंधक(पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सीधी भर्ती कोटे की 50% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) के माध्यम से भरने के लिए उसी ग्रेड पे/वेतनमान में कर्मचारियों की पात्रता के संबंध में।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.10.2005 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2004/पीएम2/3.

क्षेत्रीय रेलें कृपया संदर्भ में दर्शाए गए बोर्ड के पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार जिस ग्रेड के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) आयोजित की जानी है, उससे कम ग्रेड में कार्य करने वाले कर्मचारी सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोजित होने वाले चयन में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

2. एआईआरएफ और एनएफआईआर दोनों संघों ने जीडीसीई में शामिल होने के लिए कर्मचारियों की पात्रता के मामले को उठाया है और बोर्ड से अनुरोध किया है कि समान ग्रेड पे/वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी जीडीसीई का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

3. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संदर्भ में दर्शाए गए बोर्ड के पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए समान ग्रेड पे/वेतनमान वाले कर्मचारियों को जीडीसीई के लिए आयोजित होने वाले चयन में शामिल होने की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाए जिनमें चयन गैर संरक्षा कोटि से संरक्षा कोटि के पदों में जाने के लिए हो। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

F Ruling

HRD
1/7

(पी. एस. मीना)
उप निदेशक-II/स्था.(अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड

Ch.OS/Ruling.